


आदेशा दिनांक 19/6/18 को लोक अदालत शिकरि गाम पंचायत
मिनाम में पेश है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
व्याय आपके दाय - 2018
गाम पंचायत मिनाम दिनांक 19/6/18


19/6/18

पत्रावली पेश हुई। प्राणी उप। पैरोडर स्कार उप। प्राणी
ने बैंक सस्मों के समस्त प्राणी पत्र स्वीकार किया जाकर
अप्राणीगण को जैसे अंतरिम अस्कारि निषेधाज्ञा से बांधे दिए
जाने का निर्देश किया। पैरोडर स्कार ने जवाब पत्र प्रस्तुत
करते हुए प्राणी के कर्णों को स्कार अस्वीकार कर अवात
क्रिया कि प्रस्तुत आराजीयात वडिगी जमाबंदी 2011 में अप्राणी
सं. 1 के पूर्वज के नाम दर्ज की जो वर्तमान में अप्राणी है।
को विरासत में प्राप्त हुई जिस पर अप्राणी का कब्जा करता
की निबंध रूप से बला जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्राणी का
प्राणी पत्र स्वीकार योग्य नहीं प्रतीत नहीं होता है। बैंक सस्मों
इस उपस्थित पसकरण को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतीक
का गलता से अवधान किया गया। मजमें आम में शयशुभारी
की की गई तो प्राणीगण का प्राणी पत्र अनुतोष योग्य न होने से
अस्वीकार दिए जाने का निर्णय लिया गया। अतः प्राणी पत्र अस्वीकृत
किया जाता है। पत्रावली कुसल सुमार है। नेबर से कुम होकर
शामिल उपहार है।


निर्णय सरे इन्लास लोक अदालत शिकरि में सुनाया गया।


अध्यक्ष

लोक अदालत
उपसदस्य-मिनाम


सदस्य

लोक अदालत
उपसदस्य-मिनाम


सदस्य

लोक अदालत
उपसदस्य-मिनाम

